"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर 2013—भाद्र 19, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (64).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (44), रायपुर दिनांक 21-09-2012 की कंडिका-1 के पश्चात् निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ती है.

स्पष्टीकरण :—

1. परन्तु यह भी कि, उपरोक्त छूट का लाभ उन लिखतों में भी प्राप्त होगा, जो दिनांक 21-09-2012 को जारी अधिसूचना के पूर्व पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत होकर पंजीयन हेतु लंबित हैं.

2. और यह भी कि, जिन लिखतों में स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, वह वापसी योग्य नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (64).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (64) दिनांक 10-9-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th September 2013

NOTIFICATION

No. F 01-06/2012/CT(R)/V (64).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby, adds an explanation after para 1 to this Department's Notification No. F-01-06/2012/CT(R)/V(44) Raipur dated 21-09-2012 :—

Explanation :—

1. Provided that, the benefit of the above exemption shall also be granted on those instruments that have already been presented in the registration office prior to the date of issue of Notification dated 21-09-2012, and are pending for registration.

2. Provided further that, no stamp duty shall be refundable on those instruments where it has already been paid.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.